



# कानपुर नगर निगम

कार्यालय जन सम्पर्क विभाग

दिनांक 03-6-17

निम्न कतरन/अभिलेख अवलोकनार्थ आपके पास भेजे जा रहे हैं। जब इसका कार्य पूर्ण हो जाये तो कृपा करके जन सम्पर्क विभाग में लौटाने का कष्ट करें।

यदि कतरन के सम्बन्ध में कोई विशेष लेख, स्पष्टीकरण या आलोचना हो तो सम्बन्धित तथ्य के साथ जन सम्पर्क अधिकारी के पास अविलम्ब भेजें ताकि इसके सम्बन्ध में उचित कार्यवाही की जा सके।

समाचार पत्र

18/06/2017

अभिलेख/2017



## कानपुर नगर निगम

निर्गत आदेश सं०/56 ज०स०अ०

तिथि- 2.6.17

### आवश्यक सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि उ०प्र० शासन नगर विकास अनुभाग-9 के अधिसूचना संख्या 111/9-9-2017-170ज/2006 लखनऊ दिनांक 10 मई, 2017 के क्रम में उ०प्र० पथ विक्रेता (जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन) नियमावली 2017 के नियम-4 व 5 में निहित नियमों एवं उपबन्धों के अधीन नगर पथ विक्रय समिति का गठन किया जाना है। जिसमें गैर सरकारी संगठनों और समुदाय आधारित संगठनों का प्रतिनिधित्व एवं पथ विक्रेताओं के पंजीकृत संघों से आवेदन पत्र प्राप्त करके नियमावली में दी गयी व्यवस्था के अनुसार सदस्यों को नाम निर्दिष्ट किया जाना है। अतः सभी गैर सरकारी संगठनों और समुदाय आधारित संगठनों एवं पथ विक्रेताओं के पंजीकृत संघों से अनुरोध है कि नगर पथ विक्रेता समिति हेतु अपने-अपने संघों से सदस्यों के नाम नगर निगम कानपुर के सामान्य प्रशासन विभाग में इस विज्ञापन के प्रकाशन के 30 दिवस के भीतर उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि नगर पथ विक्रय समिति के गठन के समय प्रस्तुत उपलब्ध कराये गये नामों में चयन हेतु विचार किया जा सके।

(अविनाश सिंह)  
नगर आयुक्त



## नगर निगम, कानपुर

### आवश्यक सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि उ० प्र० शासन, नगर विकास अनुभाग-9 के अधिसूचना संख्या 111/9-9-2017-170ज/2006 लखनऊ दिनांक 10 मई, 2017 के क्रम में उ० प्र० पथ विक्रेता (जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन) नियमावली 2017 के नियम-4 व 5 में निहित नियमों एवं उपबन्धों के अधीन नगर पथ विक्रय समिति का गठन किया जाना है। जिसमें गैर सरकारी संगठनों और समुदाय आधारित संगठनों का प्रतिनिधित्व एवं पथ विक्रेताओं के पंजीकृत संघों से आवेदन पत्र प्राप्त करके नियमावली में दी गयी व्यवस्था के अनुसार सदस्यों को नाम निर्दिष्ट किया जाना है। अतः सभी गैर सरकारी संगठनों और समुदाय आधारित संगठनों एवं पथ विक्रेताओं के पंजीकृत संघों से अनुरोध है कि नगर पथ विक्रेता समिति हेतु अपने-अपने संघों से सदस्यों के नाम नगर निगम कानपुर के सामान्य प्रशासन विभाग में इस विज्ञापन के प्रकाशन के 30 दिवस के भीतर उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि नगर पथ विक्रय समिति के गठन के समय प्रस्तुत उपलब्ध कराये गये नामों में चयन हेतु विचार किया जा सके।

(अविनाश सिंह)  
नगर आयुक्त

R-2017116475

महलपौर/नगर आयुक्त

न० नि० प्रेस 98-9 ५० हजार

जनसम्पर्क अधिकारी